6/9/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित, प्रकरण मे बहस सुनी जा चुकी है। न्यायालय हाजा मे दो अलग अलग पत्रावलियां वाद संख्या 112/2015 **बअनवानी रामकुमार बनाम रामेश्वर व अन्य** तथा वाद संख्या 41/2019 **बअनवानी रामेश्वर राम व अन्य बनाम रामकुमार व अन्य** विचाराधीन है। प्रकरण संख्या 112/2015 **बअनवानी रामकुमार बनाम रामेश्वर व अन्य** मे वकील प्रतिवादी द्वारा प्रा0 पत्र अर्न्तगत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 41/0219 की कार्यवाही स्थगित करने का अनुतोष चाहा गया है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 41/2019 **बअनवानी रामेश्वर राम व अन्य बनाम रामकुमार व अन्य** मे भी प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र अर्न्तगत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद संख्या 112/2015 मे कार्यवाही पर स्टे चाहा गया है।

दोनो पा0 पत्रो पर बहस एक साथ सुनी गई। दोनो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। धारा 10 सीपीसी के अनुसार *"(कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण मे जिसमे विवाद्य– विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के, जिनमे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है किसी पूर्वतन संस्थित वाद मे भी प्रत्यक्षतः ओर सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नही करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय मे या अन्य किसी ऐसे न्यायालय मे जो दावा किया गया अनुतोष देने कि अधिकारिता रखता है या सीमाओ के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय मे स्थापित किया गया है या चालु रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।"*

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वाद संख्या 112/2015 **बअनवानी रामकुमार बनाम रामेश्वर व अन्य** न्यायालय हाजा मे दिनांक 28.10.2015 को संस्थित हुआ था जिसमे खाता विभाजन अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए का अनुतोष चाहा गया था। तथा वाद संख्या 41/19 **बअनवानी रामेश्वर राम व अन्य बनाम रामकुमार व अन्य** दिनांक 15.05.19 को संस्थित हुआ था। दोनो दावो का विवाद्य– विषय (चक 01 ई बडी खाता संख्या 12/09) समान है। दोनो दावो मे पक्षकारान भी समान है। परन्तु वाद संख्या 41/2019 मे धारा 136 एल.आर. एक्ट व धारा 88 आर.टी.ए एक्ट के तहत अनुतोष चाहा गया है। दोनो दावो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दोनो दावो का निस्तारण अलग– अलग विचारण करके नही किया जा सकता है। क्योकि वाद संख्या 112/2015 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रविष्टियो के आधार पर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जबकि वाद संख्या 41/2019 मे पूर्व मे हुए रजिस्टर्ड बंटवारे के आधार पर राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियो मे शुद्वि एवं खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

अतः दोनो दावो मे प्रस्तुत प्रा0 पत्र अर्न्तगत धारा 10 सीपीसी खारिज किए जाते है तथा दोनो दावो को एक साथ एकीकृत कर विचारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति मे वाद संख्या 41/2019 **बअनवानी रामेश्वर राम व अन्य बनाम रामकुमार व अन्य** को पूर्ववर्ती विचाराधीन वाद संख्या 112/2015 **बअनवानी रामकुमार बनाम रामेश्वर व अन्य** के साथ एकीकृत किए जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति दोनो पत्रावलियो मे अलग– अलग शामिल रहे। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 22.09.2021 को पेश हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06.09.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
( आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
श्रीगंगानगर